# न्यायलय सहायक कलकटर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण स. 229/2022

वाद पत्र अ.धा. 88 आर.टी.ए.

1. हरमनवीर सिद्धु पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

**बनाम्**

1. बलकरण सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मलकीत कौर पत्नी श्री मुखत्यार सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. यादविन्द्र कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. सिमरजीत कौर पुत्री श्री मुखत्यार सिंह पत्नी श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया हाल आबाद जोगेवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
5. अवनीत कौर पुत्री श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)
6. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1 श्री शिवशंकर– वकील वादी

2 श्री अनिल चोयल– वकील प्रतिवादीगण

**निर्णय** दिंनाकः– 13.8.2022

वादी हरमनवीर सिद्धु ने प्रतिवादी स. 1ता6 के विरूध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा हेतू दिंनाक 16.05.2022 को इस न्यायलय मे पेश किया की वादी एव प्रतिवादी सं. 1ता5 एक ही परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादी स. 1 आपस मे पिता/पुत्र है प्रतिवादी स. 2 वादी की दादी प्रतिवादी स. 3 माता प्रतिवादी स. 4 भुआ व प्रतिवादी स. 5 बहिन है वादी के प[illegible] विरासतन कृषि भूमि मौका पर चक 5 आईडीजी के खाता स. 89/72, 90 व चक 6 आईडीजी के खाता स. 36/28 तथा चक 7 पीटीपी के खाता [illegible] 88/76 मे प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादीया स. 2 के नाम दर्ज राजस्व [illegible]ई है। उक्त समस्त कृषि भूमि विरासतन कृषि भूमि हैं तथा वादी के दादा से प्राप्त है एंव विरास्तन कृषि भूमि की साझा कमाई से खरीदशुदा है। जिसमे वादी का जन्म से

13/8

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:00 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त हित व स्वत्व निहित है। उक्त खातो की असल जमाबन्दीया संलग्न वाद पत्र है। चूंकि उक्त विरासतन कृषि भुमि है परन्तु मौका पर प्रतिवादी स. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा वादी की प्रतिवादी सं. 1 व 2 के साथ जीवन-यापन करना विचारो की भिन्नता के कारण दुर्भर हो गया तथा वादी की शिक्षा व भरण-पोषण हेतु आय की आवश्यकता होती है इस कारण बिना कृषि भुमि के जो कि विरासतन है, वादी अपना भरण-पोषण करने मे असमर्थ है। प्रतिवादी स. 2 मौका पर प्रतिवादी स. 1 के प्रभाव मे है। उक्त कृषि भुमि के बिना वादी का गुजर-बसर व जीवन यापन करना अत्यधिक मुश्किल है, क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 उक्त कृषि भूमि की कमाई का दुरूपयोग करने लग गया है। समस्त आय का उपयोग व उपभोग अपनी निजी जरूरत, व्यसनो पर खर्च करने लग गया है तथा प्रतिवादी स. 2 जो कि प्रतिवादी स. 1 की माता है पुर्णत्या उसके प्रभाव मे है। प्रतिवादी सं. 1 की इन्ही आदतों के कारण वादी को उसकी मूलभूत जरूरतो हेतू भी विरासतन कृषि भूमि की आय में से हिस्सा देने से प्रतिवादी सं. 1 ने इन्कार कर दिया इस कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य अत्यधिक तनाव व मनमुटाव उत्पन्न हो गया तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 एक दुसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू व आमदा हो गये जिस कारण परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा, जिस कारण वादी व प्रतिवादी स. 1 व 2 के मध्य प्रतिवादीगण स. 3 ता 5 व रिश्तेदारो आदि समझाईश कर उक्त विरासतन कृषि भूमि को लेकर इस बैसाखी पर बंटवारा व राजीनामा करवा दिया तथा प्रतिवादी स. 3ता5 ने अपने विरासतन हक हिस्सा का परित्याग वादी व प्रतिवादी स. 1 के पक्ष मे बहिब कर दिया है तथा अब उक्त प्रतिवादी स. 3ता5 का उक्त कृषि भूमि कोई हित व सवत्व निहित नही रहा है उक्त राजीनामा में बाद बंटवारा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को वाद पत्र की चरण स. 4 क, ख, ग अनुसार कृषि भूमि प्राप्त हुई। जिसके अनुसार वादी चक 5 आईडीजी खाता सं. 89/72 में 2.277है. तथा इसी चक के खाता सं. 90/70 में 1.012है. कृषि भुमि एंव चक 6 आईडीजी खाता सं. 36/28 में 3.162है. कृषि भुमि प्राप्त हुई इसी प्रकार प्रतिवादी स. 1 को चक 5 आईडीजी खाता सं. 89/72 में 2.277है. कृषि भुमि इसी चक के खाता सं. 90/70 में 1.518है. कृषि भुमि एंव चक 6 आईडीजी खाता सं. 36/28 में 3.163है. कृषि भुमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी स. 2 को चक 7 पीटीपी खाता सं. 88/76 में 0.632है. कृषि भुमि प्राप्त हुई वादी बंटवारा के [illegible] ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परन्तु उक्त [illegible] भूमि जिसमें कि वादी का जन्म से प्राप्त हित व [illegible] जन्म से हित होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार विधिक प्रावधानो के अनुसार हक व हिस्सा बनता है, परन्तु उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी [illegible] 1 व 2 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादीसं. 1 व 2 अन्य दीगर व्यक्तियो के प्रभाव के कारण पूर्णतया बदयन्ती पर है तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 एवं अन्य लोग एक-दूसरे के प्रभाव में है तथा छोटी छोटी बातो पर वादी को, वादी की उक्त

लगातार-3

13/8

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh D
Date: 2022.11.23 14:10:00 IS
Reason: SelfAttested

कृषि भूमि को विक्रय करने एवं बेदखल करने की धमकी देते हैं। भविष्य में यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने उक्त कृत्य में सफल हो जाता है तो वादी अपने विधिक व साम्पतिक अधिकारो से वंचित हो जावेगा और वादी के हितों पर कुठाराघात होगा तथा वादी के जीवन पर व भरण-पोषण व शिक्षा पर इसका विपरीत असर पडेगा। जबकि वादी उक्त कृषि भूमि को प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी एवं दावेदार है। वादी का उक्त कृषि भूमि में जन्म से प्राप्त हित व उत्तराधिकार विधिक अनुसार हक व स्वतव निहित हैं तथा बंटवारा के रोज से ही उसके कब्जाकाश्त में भी हैं। यदि प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने इस दुराश्य में सफल हो जाता हैं तो वादी को अपुर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी पुर्ति धन द्वारा नही की जा सकेगी। उक्त वर्णित परिस्थितियो में वादी उक्त कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी व दावेदार हैं ताकि प्रतिवादी सं. 1 व 2 उक्त कृषि भूमि में वादी के हितो को प्रभावित न कर सके। वादी ने उक्त परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी से उसको उक्त विरासतन कृषि भूमि का बंटवारा व कब्जाकाश्तनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का निवेदन किया तो वह पहले तो टाल मटोल करता रहा परन्तु गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण हैं।

उक्त तथ्यो के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिर्पोट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता3 के मध्य दिंनाक 27.05.2022 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश हुआ जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी स. 4 व 5 ने जरिये वकील जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स. 6 जवाब स्टेट पेश हुआ जिसमे राज्यहित को मध्यनजर रखने की इस्तदुआ की गई। वाद पत्र के सम्र्थन मे वादी द्वारा साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 5 आईडीजी के खाता स. 89/72, व 90/70 तथा चक 6 आईडीजी के खाता स. 36/28 व 7 पीटीपी के खाता स. 88/76 की जमाबन्दीयो की प्रमाणित प्रतिया पेश की। साक्ष्य वादी मे वादी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र पर कोई विरोध दर्ज नही किया गया एंव राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री करने पर सहमति जताई गई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे वादी वकील ने कथन किया की एंव प्रतिवादी स. 1ता3 का राजीनामा पेश हो चुका है तथा प्रतिवादी 5 का सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। वकील वादी ने दौरान बहस कथन किया कि उनके वाद पत्र एंव राजीनामा का प्रतिवादीगण द्वारा कोई विरोध नही किया गया है। वाद पत्र मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। वकील वादी ने राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस मे वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने पर कोई आपति दर्ज नही करवाई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार-4

वाद पत्र मे वर्णित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी तहसील संगरिया के चक 5 आईडीजी के खाता स. 89/72, व 90/70 तथा चक 6 आईडीजी के खाता स. 36/28 व 7 पीटीपी के खाता स. 88/76 मे प्रतिवादी स. 1 के नाम से दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता3 का राजीनामा पेश हो चुका है तथा प्रतिवादी स. 4 व 5 का सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। वाद पत्र का कोई विरोध पत्रावली पर नही आया है इसलिये तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद मे वर्णित कृषि भूमि विरास्तन है। जिसमे वादी के विधिक एंव साम्पतिक अधिकार निहित है। वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र वादी एंव प्रतिवादी स. 1ता3 के राजीनामा एंव प्रतिवादी स. 4 व 5 के सहमति के जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

## -: कियात्मक आदेश::-

अतः वाद वादी राजीनामा एंव सहमति के जवाब दावा के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 5 आईडीजी खाता सं. 89/72 मे प्रतिवादी स. 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 2.277है. एंव चक 5 आईडीजी के खाता स. 90/70 मे प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज 1.012है. तथा चक 6 आईडीजी के खाता स. 36/28 मे प्रतिवादी स. 2 के नाम दर्ज 3.162है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार प्रतिवादी स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। प्रतिवादी स. 1 को चक 5 आईडीजी के खाता स. 89/72 मे 2.277है. इसी चक के खाता स. 90/70 मे 1.518है. व चक 6 आईडीजी के खाता स. 36/28 मे 3.163है. का यथावत खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार प्रतिवादी स. 2 चक 7 पीटीपी के खाता स. 88/76 मे 0.632है. की यथावत खातेदार काश्तकार है।

नोटः- यदि डिक्रित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया जाकर दाखिल-दफतर हो। निर्णय आज दिंनाक 24/8/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आ. 20 नि. 6-7 व्या. प्रकिया संहिता

## न्यायलय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रकरण स. 229/2022

हरमनवीर सिद्धु पुत्र श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) **- वादी**

**बनाम्**

1 बलकरण सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह 2 मलकीत कौर पत्नी श्री मुखत्यार सिंह 3 यादविन्द्र कौर पत्नी श्री बलकरण सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) 4 सिमरजीत कौर पुत्री श्री मुखत्यार सिंह पत्नी श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया हाल आबाद जोगेवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.) 5 अवनीत कौर पुत्री श्री बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) 6 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया **- प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबय हमारे बहाजरी श्री शिवशंकर वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री अनिल चोयल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि वादी को तहसील संगरिया के चक 5 आईडीजी खाता सं. 89/72 मे प्रतिवादी स. 2 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से 2.277है. एंव चक 5 आईडीजी के खाता स. 90/70 मे प्रतिवादी स. 1 के नाम दर्ज 1.012है. तथा चक 6 आईडीजी के खाता स. 36/28 मे प्रतिवादी स. 2 के नाम दर्ज 3.162है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार प्रतिवादी स. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

नोटः- यदि डिक्रित वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमलदरामद मुताबिक हक हिस्सा किया जावे।

खर्चा मुकदमे के निज.X... निल...X..मुब्लिक.X......निल..X.....बाबत.X....निल..X...खर्चा मुकदमे के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसुलयाबी तक ..X.... को अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

बसब्त मेरे दस्तखत एंव मुहर अदालत से आज दिंनाक 13/8/22 को जारी किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एंव

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2022.11.23 14:10:00 IST
Reason: SelfAttested